



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में साइबर सेल या पुलिस के निर्देश पर बैंक खाता फ्रीज होने पर व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसी कार्रवाई किन कानूनी प्रावधानों के तहत होती है, और खाता चालू कराने के लिए क्या उपाय और अदालती फैसले मौजूद हैं?”

पुलिस या साइबर सेल द्वारा बैंक खाता फ्रीज करने की स्थिति में कानूनी प्रावधान, उपाय और न्यायिक उपचारों का विश्लेषण

सारांश

भारत में पुलिस या साइबर सेल द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102 [अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 107] के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने *Nevada Properties Private Limited v. State of Maharashtra* (2019) में यह स्पष्ट किया है कि बैंक खाता धारा 102 के तहत 'संपत्ति' (चल संपत्ति) के अंतर्गत आता है, जिसके कारण पुलिस को जांच के दौरान इसे फ्रीज करने का अधिकार है। यदि पुलिस इस जब्ती की सूचना स्थानीय मजिस्ट्रेट को तत्काल (forthwith) नहीं देती है, तो प्रक्रियात्मक उल्लंघन के कारण फ्रीजिंग की कार्रवाई अवैध हो जाती है और न्यायालय इसे रद्द कर सकता है, जैसा कि *Amaladas Rajesh v. The State* (2024) में माना गया है। प्रभावित व्यक्ति के पास सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने अथवा क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष CrPC की धारा 451 या 457 के तहत खाते को अनफ्रीज (de-freeze) करने के लिए आवेदन करने का प्रभावी कानूनी उपचार उपलब्ध है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	1	2025
24 उच्च न्यायालय • 1 सर्वोच्च न्यायालय		Madras High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

- 01** बैंक खाता धारा 102 CrPC के अंतर्गत 'संपत्ति' है और इसके लिए अपराध से सीधा संबंध आवश्यक है

पुलिस केवल उन्हीं बैंक खातों को फ्रीज कर सकती है जिनका कथित अपराध या संदिग्ध अवैध धन से सीधा संबंध (nexus) स्थापित हो, जैसा कि *The Meridian Educational Society v. The State of Telangana* (2021) और *Chilaram Narzary v. State of Assam* (2022) में निर्धारित किया गया है।
- 02** मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्टिंग (Forthwith Reporting) धारा 102(3) CrPC की एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है

यदि पुलिस खाता फ्रीज करने के बाद क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना तत्काल नहीं देती है, तो यह विफलता पूरी जब्ती की कार्रवाई को अवैध और अमान्य बना देती है, जैसा कि *Ramesh @ Mint Ramesh v. State of Tamil Nadu* (2025), *Shawk Labs Pvt. Ltd. v. State of Tamil Nadu* (2023) और *T. Subbulakshmi v. Commissioner of Police* (2013) में स्थापित किया गया है।
- 03** जांच के दौरान फ्रीजिंग के लिए खाताधारक को पहले से कोई पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं है

जांच के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण चरणों में साक्ष्यों के विनाश या हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से कानून पुलिस द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के खाता फ्रीज करने की अनुमति देता है, जैसा कि *Ram Naresh Tiwari v. State of Chhattisgarh* (2020) में माना गया है।
- 04** बिना कानूनी प्रक्रिया के या केवल मौखिक निर्देश पर फ्रीजिंग पूरी तरह अवैध है

बैंक द्वारा बिना किसी लिखित आदेश, धारा 102 CrPC के औपचारिक नोटिस या अन्य राज्य की पुलिस के केवल मौखिक या अनौपचारिक निर्देश पर खाता फ्रीज करना कानूनन अवैध है, जैसा कि *Ajay Kharbanda v. State of Karnataka* (2024) और *George Abraham v. The Branch Manager, IDFC Bank* (2024) में स्पष्ट किया गया है।
- 05** धारा 451/457 CrPC मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता डी-फ्रीज करने का एक प्रभावी और वैकल्पिक उपाय है

प्रभावित व्यक्ति के पास केवल सीधे उच्च न्यायालय जाने के बजाय संबंधित आपराधिक अदालत के समक्ष धारा 451 या धारा 457 CrPC के तहत खाते की अंतरिम कस्टडी और डी-फ्रीजिंग के लिए आवेदन करने का वैधानिक उपचार उपलब्ध है, जैसा कि *Uday Singha v. State of Chhattisgarh* (2022) में अभिनिर्धारित किया गया है।

06 खाते को अनफ्रीज करने से पहले बैंकों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए

मजिस्ट्रेट द्वारा खाते से रोक हटाने या पैसे ट्रांसफर करने का आदेश देने से पहले संबंधित बैंक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि विसंगतियों से बचा जा सके, जैसा कि *Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka* [CRL.P/4734/2024] (2024) में प्रतिपादित किया गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

Muktaben M. Mashru v. State of NCT of Delhi (2019) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए रेखांकित किया कि धारा 102 के तहत पुलिस के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार तभी वैध हैं जब मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्टिंग और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

प्रक्रियात्मक त्रुटियों के मामलों में मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय सीधे रिट याचिका के तहत खाते डी-फ्रीज करने के आदेश जारी करते हैं (*Yelantra Power Solutions Pvt. Ltd. v. State of Karnataka* (2023), *A. Rajan v. Assistant General Manager (Law)* (2016))। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देते हैं (*Shree Mahalaxmi Associates v. State of Chhattisgarh* (2020), *Superior Finlease Limited v. State of Telangana* (2022))। कुछ मामलों में, जैसे *Riyaz Ahmad Khan v. C.B.I.* (2021) में, यह भी देखा गया कि यदि खाता सीटीए (Section 105-E CrPC) के तहत फ्रीज किया गया है, तो 30 दिनों के भीतर सक्षम अदालत से उसकी पुष्टि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, *M/s. AP Product v. State of Telangana* (2020) और *Shumsunnisa v. State of Telangana* (2020) में अदालतों ने माना कि गंभीर परिस्थितियों (जैसे महामारी) में मजिस्ट्रेट को सूचना देने में देरी को देखते हुए सीधे खाते खोलने के बजाय धारा 451/457 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट को तय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। *Pawan Mohanty v. State of Odisha* (2025) में यह व्यवस्था दी गई कि यदि आरोपी बरी हो चुका है और खाता केवल आई.ओ. के अनुरोध पर बंद था, तो उसे तुरंत खोला जाना चाहिए।

हाल का विकास

वर्तमान तकनीकी और साइबर अपराध के परिदृश्य में, अदालतों ने संतुलित रुख अपनाया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *Parthibhan V. v. State of Karnataka* (2024) में निर्देश दिया कि पूरे खाते को ब्लॉक करके किसी व्यक्ति के जीवन और व्यवसाय को बाधित करने के बजाय केवल संदिग्ध विवादित राशि पर 'lien' (ग्रहणाधिकार) अंकित किया जाए और बाकी खाते के सामान्य संचालन की अनुमति दी जाए।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन और प्रक्रियात्मक कमियां

Bornali Dutta Bora v. State of Assam (2023) जैसे मामलों में यह देखा गया है कि जब खाते में संदिग्ध उगाही (extortion) का पैसा जमा होने का संदेह हो, तो प्रक्रियात्मक कमियों के बावजूद जांच के हित में खातों को तुरंत खोलने पर न्यायालय हिचकिचाते हैं।

एकाधिक आदेशों का टकराव

Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka [CRL.P/3635/2024] (2024) में यह समस्या सामने आई कि देश भर की विभिन्न अदालतों द्वारा बिना बैंकों को सुने सीधे पैसे ट्रांसफर या डी-फ्रीज करने के कई आदेश जारी करने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है, खासकर तब जब खाते में उपलब्ध शेष राशि दावों से बहुत कम हो।

II. सांविधिक प्रावधान 1 प्रावधान

SECTION 102, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — POWER OF POLICE OFFICER TO SEIZE CERTAIN PROPERTY

यह धारा पुलिस अधिकारी को ऐसी किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है जिसके चोरी होने का संदेह हो या जिससे किसी अपराध के होने का संदेह पैदा होता हो।

"(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offence.

(2) Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer.

(3) Every police officer acting under sub-section (1) shall forthwith report the seizure to the Magistrate having jurisdiction..." उद्धृत: Shree Mahalaxmi Associates v. State of Chhattisgarh, Ram Naresh Tiwari v. State of Chhattisgarh, Uday Singha v. State of Chhattisgarh, Muktaben M. Mashru v. State of NCT of Delhi, Chilaram Narzary v. State of Assam, Bornali Dutta Bora v. State of Assam, Superior Finlease Limited v. State of Telangana, The Meridian Educational Society v. The State of Telangana, Shumsunnisa v. State of Telangana, Amaladas Rajesh v. The State, T. Subbulakshmi v. Commissioner of Police, Shawk Labs Pvt. Ltd. v. State of Tamil Nadu, A. Rajan v. Assistant General Manager (Law), George Abraham v. The Branch Manager, IDFC Bank, Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka, Ajay Kharbanda v. State of Karnataka, Yelantra Power Solutions Pvt. Ltd. v. State of Karnataka, Parthibhan V. v. State of Karnataka

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Vijendra Kapoor v. State of U.P.</i> UPHC010281432023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	जांच समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 102(3) CrPC के तहत आवेदन करना उचित उपाय है।
02	<i>Riyaz Ahmad Khan v. C.B.I.</i> UPHC011052512021	ALLAHABAD HIGH COURT	2021	धारा 105-E CrPC के तहत फ्रीजिंग आदेश की 30 दिनों के भीतर पुष्टि न होने पर रोक समाप्त होगी।
03	<i>Ramesh @ Mint Ramesh v. State of Tamil Nadu</i> HCMA012308512025	MADRAS HIGH COURT	2025	बिना पूर्व सूचना और मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्ट के बिना बैंक खाता फ्रीज करना अवैध है।
04	<i>Ajay Kharbanda v. State of Karnataka</i> KAHC010400812024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	बिना किसी औपचारिक नोटिस या धारा 102 CrPC के प्रक्रियात्मक अनुपालन के खाता फ्रीज करना अवैध है।
05	<i>Uday Singha v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010410102022	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2022	खाता फ्रीजिंग के विरुद्ध धारा 457 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पूरी तरह से विचारणीय है।
06	<i>Ram Naresh Tiwari v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010250262020	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	धारा 102 के तहत खाता फ्रीज करने के लिए खाताधारक को पूर्व नोटिस देना अनिवार्य नहीं है।
07	<i>Superior Finlease Limited v. State of Telangana</i> HBHC010307992022	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2022	रिट क्षेत्राधिकार के बजाय धारा 451 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाना एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार है।
08	<i>Muktaben M. Mashru v. State of NCT of Delhi</i> DLHC012169842018	HIGH COURT OF DELHI	2019	धारा 102 की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन न करने पर बैंक खाता फ्रीजिंग को रद्द किया जा सकता है।
09	<i>The Meridian Educational Society v. The State of Telangana</i> HBHC010345902021	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2021	"किसी भी संपत्ति" के तहत बैंक खाते शामिल हैं, परंतु मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य है।
10	<i>M/s. AP Product v. State of Telangana</i> HBHC010218312020	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2020	महामारी के कारण मजिस्ट्रेट को सूचना में हुई देरी पर न्यायालय ने धारा 451/457 CrPC के तहत राहत दी।
11	<i>Shumsunnisa v. State of Telangana</i> HBHC010386222020	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2020	पुलिस जांच के दौरान संदिग्ध खाता फ्रीज कर सकती है; उपचार हेतु मजिस्ट्रेट के पास जाएं।
12	<i>Amaladas Rajesh v. The State</i> HCMA010528902024	MADRAS HIGH COURT	2024	अनिवार्य प्रक्रियात्मक नियमों (मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करना) के उल्लंघन पर खाता तुरंत डी-फ्रीज होगा।
13	<i>Pawan Mohanty v. State of Odisha</i> ODHC010474322024	ORISSA HIGH COURT	2025	बरी होने के बाद, केवल जांच अधिकारी के अनुरोध पर फ्रीज किए गए खातों को तुरंत खोला जाना चाहिए।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Shawk Labs Pvt. Ltd. v. State of Tamil Nadu</i> HCMA011440732023	MADRAS HIGH COURT	2023	मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना न भेजने के कारण बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को अवैध माना।
15	<i>Yelantra Power Solutions Pvt. Ltd. v. State of Karnataka</i> KAHC010563542023	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	धारा 102(3) CrPC की अनिवार्य सूचना देने में विफल रहने पर पुलिस का फ्रीजिंग नोटिस रद्द होगा।
16	<i>A. Rajan v. Assistant General Manager (Law)</i> HCMD010796552016	MADRAS HIGH COURT	2016	प्रक्रियात्मक उल्लंघन (मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्ट न करना) होने पर पेंशन खाते की फ्रीजिंग रद्द की गई।
17	<i>Nevada Properties Private Limited v. State of Maharashtra</i> ESCR010003522019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	धारा 102 CrPC में बैंक खाते (चल संपत्ति) शामिल हैं, लेकिन अचल संपत्ति सील करने की शक्ति नहीं है।
18	<i>Chilaram Narzary v. State of Assam</i> GAHC010059992021	GAUHATI HIGH COURT	2022	अपराध और बैंक खाते के बीच सीधा संदेह या संबंध न होने पर फ्रीजिंग की कार्रवाई अवैध है।
19	<i>T. Subbulakshmi v. Commissioner of Police</i> HCMA011190582013	MADRAS HIGH COURT	2013	क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल (forthwith) रिपोर्टिंग न करना जब्ती को पूरी तरह दूषित करता है।
20	<i>Parthibhan V. v. State of Karnataka</i> KAHC010570342023	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	पूरे खाते को ब्लॉक करने के बजाय केवल संदिग्ध राशि (₹50,000) पर 'lien' अंकित किया जाना चाहिए।
21	<i>Bornali Dutta Bora v. State of Assam</i> GAHC010090132020	GAUHATI HIGH COURT	2023	संदिग्ध उगाही राशि के लेनदेन वाले खातों को फ्रीज करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार किया।
22	<i>Shree Mahalaxmi Associates v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010194512020	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	बिना न्यायिक मस्तिष्क और प्रक्रियात्मक जांच के मजिस्ट्रेट द्वारा डी-फ्रीज आवेदन खारिज करना त्रुटिपूर्ण है।
23	<i>Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka [CRL.P/4734/2024]</i> KAHC010216352024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	खातों को अनफ्रीज करने और धन हस्तांतरित करने से पहले बैंक को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
24	<i>George Abraham v. The Branch Manager, IDFC Bank</i> KAHC010044302024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	अन्य राज्यों की पुलिस के केवल मौखिक संचार पर मनमाने ढंग से खाता फ्रीज करना पूरी तरह अवैध है।
25	<i>Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka [CRL.P/3635/2024]</i> KAHC010225162024	HIGH COURT OF KARNATAKA	2024	बिना बैंक का पक्ष सुने मजिस्ट्रेट द्वारा सीधे पैसे ट्रांसफर करने का आदेश देना गलत है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Vijendra Kapoor v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-03-31 • WRIC/4426/2023

यह याचिका एक बैंक खाते को फ्रीज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का खाता कथित रूप से 'hooch tragedy' (जहरीली शराब कांड) की जांच के सिलसिले में पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया था। न्यायालय ने Section 102 of the Criminal Procedure Code का विश्लेषण किया, जो पुलिस को किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त करने या फ्रीज करने की शक्ति देता है जिसके बारे में संदेह हो कि वह किसी अपराध में शामिल है। न्यायालय ने Supreme Court के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी के पास जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज करने का अधिकार है यदि उन संपत्तियों का जांच किए जा रहे अपराध से सीधा संबंध हो। चूंकि जांच अभी प्रगति पर थी, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता जांच पूरी होने के बाद संबंधित अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जांच पूरी होने और आरोप पत्र (charge sheet) दाखिल होने के बाद, प्रभावित व्यक्ति धारा 102(3) CrPC के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष डी-फ्रीज के लिए आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट जांच एजेंसी को सुनने के बाद उचित शर्तें लगाते हुए खाते को चालू करने का आदेश दे सकते हैं।

“Once the investigation is complete and Police report is submitted to the Court concerned it is open for the person whose account has been freezed during investigation, to apply for defreezing of the bank account before the concerned Magistrate in terms of Section 102 (3) of Cr.P .C. and persuade the Court concerned that the said bank account is no more necessary for the purpose of investigation. If such application is filed, the Court concerned shall consider the request in accordance with law, and after hearing the investigation agency, may allow the application and direct defreezing of such bank account.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010281432023

02 Riyaz Ahmad Khan v. C.B.I.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021-12-14 • WRIC/16963/2021

याचिकाकर्ताओं ने अपनी बैंक खाते पर लगी फ्रीज हटाने के लिए यह याचिका दायर की थी। मामला यह था कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी कृषि भूमि एक व्यक्ति को बेची थी, जिसके लिए उन्हें बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ था। बाद में यह पता चला कि खरीदार के पुत्र ने बैंक में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य खाताधारकों के पैसे अवैध रूप से याचिकाकर्ताओं के खाते में भेजे थे। जांच में याचिकाकर्ताओं की कोई मिलीभगत नहीं पाई गई। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने सद्भावनापूर्ण तरीके से भूमि का हस्तांतरण किया था और उनके पैसे पर किसी बैंक का दावा नहीं बनता। अदालत ने बैंक को खाता डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया और कहा कि बैंक अपनी वसूली के लिए संबंधित कृषि भूमि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि यदि जांच अधिकारी द्वारा बैंक खाते को फ्रीज करने के निर्देश दिए जाते हैं, तो धारा 105-E CrPC के तहत 30 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय द्वारा उस आदेश की पुष्टि की जानी चाहिए। ऐसा न होने पर खाता फ्रीज रखना गैर-कानूनी है।

“It is only in the event where the Investigating Officer issues instruction for freezing bank account and such direction is approved by the competent court within 30 days that the freezing of bank account can continue, which is not the case here. In view of the above deliberation, this writ petition succeeds and is allowed. A writ of mandamus is issued to the respondent State Bank of India to de-freeze the account of the writ petitioners unless an order to the contrary is passed by any competent court in accordance with law.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021

स्रोत UPHC011052512021

03 Ramesh @ Mint Ramesh v. State of Tamil Nadu

MADRAS HIGH COURT • 2025-10-13 • CRL OP/28018/2025

यह मामला याचिकाकर्ता के बैंक खातों को पुलिस द्वारा फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर Section 131, 140(2), 189(4), 308(2), 336(2) और 351(3) BNSS के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद police ने बिना किसी पूर्व सूचना के और संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। न्यायालय ने माना कि Section 102 of Cr.P.C. या Section 107 of BNSS के तहत बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण, न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए बैंक को सूचित करें।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी सूचना के और मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना बैंक खातों को फ्रीज करना धारा 102 CrPC (या धारा 107 BNSS) के प्रावधानों के तहत पूरी तरह अवैध है और इस आधार पर फ्रीजिंग की कार्रवाई निरस्त की जानी चाहिए।

“Where the Bank Account is freezed without notice to the concerned person and report is not immediately sent to the jurisdictional Magistrate Court, the freezing of Bank Accounts gets vitiated and the same requires the interference of the Court.”

MADRAS HIGH COURT • 2025

स्रोत HCMA012308512025

04 Ajay Kharbanda v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-08-07 • WP/18918/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा IDFC Bank के खाते को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका से संबंधित है। बैंक ने बिना किसी औपचारिक नोटिस या Section 102 of the Cr.P.C. के तहत प्रक्रियात्मक अनुपालन के, अन्य राज्यों की पुलिस से मिले निर्देशों के आधार पर खाते को फ्रीज कर दिया था। न्यायालय ने माना कि Section 102 of the Cr.P.C. के तहत संपत्ति जब्त करने या खाता फ्रीज करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। कानूनी नोटिस या आदेश के अभाव में, बैंक द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध पाई गई। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बैंक को खाते को तुरंत डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया, हालांकि यह पुलिस को भविष्य में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना किसी लिखित आदेश या धारा 102 CrPC के औपचारिक नोटिस के बैंक खाते को फ्रीज करना कानूनन अवैध है। उचित कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों के अभाव में खाता फ्रीज रखना व्यक्तिगत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

“Section 102 of the Cr.P.C. provides the legal framework under which a police officer may seize property, including freezing of bank accounts, during an investigation. The law mandates that such action must be accompanied by due process, including issuing formal notice and obtaining judicial orders where required. In the present case, the absence of such notice or order from Respondent No. 2 renders the freezing of the petitioner’s account unlawful...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010400812024

05 Uday Singha v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022-12-13 • WPCR/976/2022

यह मामला याचिकाकर्ता के बैंक खाते को पुलिस द्वारा फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर की गई रिट याचिका से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 'Section 102 of the CrPC' के तहत, पुलिस जांच के दौरान किसी ऐसे बैंक खाते को फ्रीज कर सकती है जो किसी अपराध के कमीशन से सीधे जुड़ा हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बैंक खाता 'Section 102 of the CrPC' के तहत 'property' के अंतर्गत आता है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास 'Section 457 of the CrPC' के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता खुलवाने (defreeze) के लिए आवेदन करने का वैधानिक विकल्प उपलब्ध है, इसलिए न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए उसे यह उपाय अपनाने की अनुमति दी है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि बैंक खाता धारा 102 CrPC के तहत 'संपत्ति' है और जांच अधिकारी अपराध से जुड़े खातों को फ्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही, प्रभावित व्यक्ति के लिए धारा 457 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष डी-फ्रीजिंग हेतु आवेदन करने का उपचार पूरी तरह से विचारणीय और उपलब्ध है।

“Section 457 of the CrPC empowers the Magistrate to give delivery of the said property to the person entitled to possession subject to certain conditions mentioned therein... As such, since bank account of the accused is the property under Section 102(1) of the CrPC, therefore, application under Section 457 of the CrPC for defreezing the bank account would be maintainable.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2022

स्रोत CGHC010410102022

06 Ram Naresh Tiwari v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-12-14 • WPCR/582/2020

यह मामला एक सरकारी कर्मचारी (Patwari) द्वारा अपने और अपने परिवार के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश को चुनौती देने से संबंधित है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत FIR दर्ज करने के बाद ये खाते फ्रीज किए गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि CrPC की धारा 102 के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने Supreme Court के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बैंक खाते 'property' की परिभाषा में आते हैं और जांच अधिकारी को जांच के दौरान इन्हें फ्रीज करने का कानूनी अधिकार है। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि फ्रीजिंग के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए पहले से नोटिस देना अनिवार्य नहीं है।

निर्णय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुलिस द्वारा जांच के दौरान धारा 102 के तहत संपत्ति या खाता फ्रीज करने के लिए संदिग्ध या आरोपी को पहले से नोटिस देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का खतरा पैदा हो सकता है।

“The arguments impugning the freezing of the accounts under Section 102 CrPC without notice to the petitioners are to be noted for rejection for the simple reason that the Section 102 does not contemplate issuance of any such notice, and for the purpose of investigation, no notice to the suspect can be expected under the law.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010250262020

07 Superior Finlease Limited v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022-04-29 • WP/22791/2022

यह याचिका एक NBFC कंपनी द्वारा दायर की गई थी, जिसके बैंक खातों को पुलिस ने Cyber Crime मामले की जांच के दौरान फ्रीज कर दिया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वे किसी भी अपराध में आरोपी नहीं हैं और पुलिस ने उनके द्वारा दी गई अभ्यावेदन (representation) पर कोई कार्रवाई नहीं की है। न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में जाए बिना यह निर्णय दिया कि Article 226 of the Constitution of India के तहत Writ Petition इसके लिए उचित उपचार नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष Section 451 of the Code of Criminal Procedure के तहत आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है, क्योंकि फ्रीज किए गए बैंक खातों से संबंधित मामलों के लिए यही कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना बैंक खाते की फ्रीजिंग के खिलाफ एक प्रभावी उपचार नहीं है। प्रभावित पक्षों को क्षेत्राधिकार वाली आपराधिक अदालत के समक्ष धारा 451 CrPC के तहत राहत मांगनी चाहिए।

“When the petitioner bank account is seized basing on a crime registered whether the petitioner is an accused or not his remedy is to file an appropriate Application before the Court concerned under Section 451 Cr.P.C. At any stretch of imagination, the remedy under Article 226 of the Constitution of India is not an efficacious remedy.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2022

स्रोत HBHC010307992022

08 Muktaben M. Mashru v. State of NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2019-11-29 • CRL.M.C./4206/2018

यह मामला Investigating Officer (IO) द्वारा Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत याचिकाकर्ता के बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो आरोपी की नानी हैं, ने दलील दी कि खाते उनकी मेहनत की कमाई हैं और IO ने खाते जब्त करने के बाद Magistrate को सूचित करने की अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने खातों को अनफ्रीज करने का आदेश दिया था, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या प्रक्रिया का पालन किया गया और खातों को फ्रीज करना कानूनी रूप से सही था या नहीं।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस अधिकारी के लिए धारा 102 CrPC के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। यदि पुलिस जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने और प्रभावित व्यक्ति को निषेधात्मक आदेश की प्रति सौंपने में विफल रहती है, तो खाता सील करने की कार्रवाई रद्द की जा सकती है।

“It is held in the case of R Chandrasekhar v. Inspector of Police Station, 2003 Cr LJ 294(295) that the provisions of Section 102 of the Cr.P.C. are mandatory and where the mandatory provisions of Section 102 of the Cr.P.C. are not complied with, the police officer does not report to the concerned Magistrate about the seizure... the order of the police officer for seizure of the bank account would be set aside.”

HIGH COURT OF DELHI • 2019

स्रोत DLHC012169842018

09 The Meridian Educational Society v. The State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2021-10-04 • WP/21106/2021

यह मामला एक रिट याचिका से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा अपने बैंक खातों को फ्रीज करने के नोटिस को चुनौती दी थी। विवाद एक संपत्ति बिक्री समझौते और व्यावसायिक हस्तांतरण समझौते से उपजा है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ Sections 406 और 420 of the IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 102 CrPC के तहत इस्तेमाल किया गया वाक्यांश "any property" व्यापक है और इसमें बैंक खाते भी शामिल हैं। हालांकि, इसके तहत की गई जब्ती की जानकारी स्थानीय मजिस्ट्रेट को तत्काल दी जानी चाहिए।

“With regard to freezing of bank Accounts by invoking power of the Investigating Officer under Section 102 of Cr.p.C. is no longer res integra. The phrase 'any property' in Section 102 of Cr'P'C includes bank Accounts and Police authorities have power to freeze bank Accounts.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2021

स्रोत HBHC010345982021

10 M/s. AP Product v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020-12-03 • WP/13363/2020

यह मामला Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) की Section 102(1) के तहत पुलिस द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने की वैधता से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस ने Section 102(3) Cr.P.C. का उल्लंघन किया है, जो अनिवार्य करता है कि जब भी कोई संपत्ति (जैसे बैंक खाता) जब्त की जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। पुलिस ने अत्यधिक देरी से मजिस्ट्रेट को सूचित किया था। न्यायालय ने माना कि 'forthwith' (तुरंत) सूचना देना एक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है। हालांकि, मौजूदा pandemic के कारण हुए विलंब को देखते हुए और यह देखते हुए कि जांच अभी चल रही है, न्यायालय ने बैंक खातों को तुरंत खोलने का आदेश नहीं दिया, बल्कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास Cr.P.C. की Sections 451 और 457 के तहत interim custody के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा धारा 102 के तहत मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना देना अनिवार्य है। महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में हुए विलंब को देखते हुए सीधे खाते खोलने के बजाय याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के पास धारा 451/457 CrPC के तहत जाने का निर्देश दिया गया।

“According to the learned Assistant Government Pleader, bank accounts are freezed as part of the investigation into the crimes reported against the petitioners and are the crime properties. Petitioners ought to have approach the jurisdictional Magistrate seeking to grant interim custody of the property seized and, therefore, when an alternative remedy is available, writ petition is not maintainable.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020

स्रोत HBHC010218312020

11 Shumsunnisa v. State of Telangana

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020-12-24 • WP/23777/2020

यह मामला बैंक खातों को फ्रीज करने के पुलिस के फैसले को चुनौती देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच के दौरान उनके बैंक खातों को फ्रीज करना गलत था। न्यायालय ने माना कि Section 102 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत पुलिस को जांच के दौरान अपराध से संबंधित संदिग्ध संपत्ति या बैंक खातों को जब्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता Section 451 और Section 457 of the Cr.P.C. के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास अंतरिम कस्टडी या खाते से धन निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कानूनी रूप से उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता दी।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि खाता फ्रीजिंग से खाताधारकों के अधिकारों पर अस्थायी रोक लगती है, लेकिन यह जांच प्रक्रिया का एक वैध अंग है। विवादित और संदिग्ध खातों के संबंध में प्रभावित पक्ष धारा 451 या 457 CrPC के तहत अंतरिम राहत मांग सकते हैं।

“Sections 451 and 457 Cr.P.C., vest power in the concerned Magistrate to grant interim custody of the crime property and it is always open to an aggrieved person to file appropriate application for granting interim custody.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2020

स्रोत HBHC010386222020

12 Amaladas Rajesh v. The State

MADRAS HIGH COURT • 2024-03-28 • CRL OP/7308/2024

यह मामला Criminal Procedure Code की धारा 482 के तहत दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने बैंक खातों को 'de-freeze' करने की मांग की थी। पुलिस ने जांच के दौरान इन खातों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन Section 102 of the Cr.P.C. के तहत अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया, जैसे कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित न करना। न्यायालय ने यह माना कि प्रक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन करने के कारण बैंक खातों को फ्रीज करना कानूनी रूप से अस्थिर है। तदनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय देते हुए खातों को तुरंत de-freeze करने का आदेश दिया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि यदि पुलिस विभाग बिना नोटिस और मजिस्ट्रेट को तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत किए खाते फ्रीज करता है, तो ऐसी कार्रवाई कानून की दृष्टि में टिक नहीं सकती। प्रक्रियात्मक उल्लंघन के कारण न्यायालय ने खाते को तुरंत चालू करने का आदेश दिया।

“In the present case, the Bank account has been freezed without notice to the petitioner and without a report submitted to the Magistrate... Therefore, the action on the part of the respondent police in freezing the Bank accounts maintained before the 2 nd respondent Bank is completely vitiated and it is unsustainable in the eyes of law.”

MADRAS HIGH COURT • 2024

स्रोत HCMA010528902024

13 Pawan Mohanty v. State of Odisha

ORISSA HIGH COURT • 2025-09-02 • CRLMC/2541/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने बैंक खाते को 'defreeze' करने के निर्देश के लिए दायर किया गया था। याचिकाकर्ता को Umerkote P.S. Case No. 218 of 2023 (Section 420 of IPC) में शामिल किया गया था, जिसके दौरान जांच अधिकारी के अनुरोध पर उनका बैंक खाता सील कर दिया

गया था। बाद में, याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन बैंक खाता अभी भी सील था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि खाता किसी न्यायिक आदेश पर सील हुआ है, तो याचिकाकर्ता को trial court के समक्ष आवेदन करना चाहिए, और यदि यह जांच अधिकारी के अनुरोध पर किया गया था, तो उसे तुरंत इसे हटाने के निर्देश देने चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि बैंक खाता केवल जांच अधिकारी (IO) के अनुरोध पर बंद किया गया था, और याचिकाकर्ता बरी हो चुका है, तो जांच अधिकारी को बैंक को खाता तुरंत खोलने के निर्देश देने चाहिए।

“In the event the bank account has been freezed on the request of the I.O., then necessary instruction be imparted to the concerned bank-Opposite Party No.3 by the I.O.-Opposite Party No.2 to defreeze the bank account of the Petitioner immediately.”

ORISSA HIGH COURT • 2025

स्रोत ODHC010474322024

14 Shawk Labs Pvt. Ltd. v. State of Tamil Nadu

MADRAS HIGH COURT • 2023-08-30 • WP/24891/2023

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अपने बैंक खातों को फ्रीज करने के पुलिस के निर्णय को चुनौती दी थी। पुलिस ने Section 102 of Cr.P.C. के तहत जांच के दौरान इन खातों को फ्रीज किया था, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय मजिस्ट्रेट को देरी से दी गई थी। न्यायालय ने माना कि जब पुलिस कोई बैंक खाता फ्रीज करती है, तो उसे तुरंत इसकी जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है। इस प्रक्रियात्मक चूक को देखते हुए, न्यायालय ने पुलिस को याचिकाकर्ता के खातों को तुरंत अनफ्रीज (defreeze) करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में जांच के लिए खातों को फ्रीज करना आवश्यक हो, तो पुलिस को Section 102 of Cr.P.C. का कड़ाई से पालन करना होगा।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 102 CrPC के अनिवार्य प्रावधानों के तहत जब्ती की तत्काल सूचना क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को न देना कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध बना देता है।

“after the bank account was freezed by the seventh respondent Police, it was not immediately intimated to the jurisdictional Magistrate as mandated under Section 102 of Cr.P.C. Hence, the very freezing of the account is illegal and the law on this issue is too well settled.”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMA011440732023

15 Yelantra Power Solutions Pvt. Ltd. v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-11-24 • WP/24815/2023

यह मामला पुलिस द्वारा Section 102 of Cr.P.C. के तहत याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने के निर्णय को चुनौती देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पुलिस ने इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने बैंक खाते को फ्रीज करने की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को 'forthwith' (बिना किसी देरी के) नहीं दी थी, जो Section 102(3) of Cr.P.C. का उल्लंघन है। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार कर ली और पुलिस द्वारा जारी किए गए फ्रीज नोटिस को रद्द कर दिया, साथ ही संबंधित बैंक को याचिकाकर्ता का खाता तुरंत डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने धारा 102 के तहत प्रक्रियात्मक कड़ाई पर जोर देते हुए कहा कि धारा 102(1) और 102(3) CrPC की आवश्यकताएं अनिवार्य (mandatory) हैं। पुलिस द्वारा इस प्रक्रिया का पालन न करना फ्रीजिंग नोटिस को रद्द करने योग्य बनाता है।

“The Hon'ble Supreme Court in the case of Jermyn Capital LLC Dubai -vs- Central Bureau of Investigation and Others, reported in (2023) 7 SCC 810, with reference to Section 102 of Cr.P.C. has held that, the requirement of sub-Section 1 and 3 of Section 102 of Cr.P.C. are mandatory.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC010563542023

16 A. Rajan v. Assistant General Manager (Law)

MADRAS HIGH COURT • 2016-08-03 • WP(MD)/7206/2016

यह मामला एक रिट याचिका से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने बैंक को अपने फ्रीज किए गए खातों को खोलने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता, जो एक सेवानिवृत्त पेंशनभोगी है, ने तर्क दिया कि उसके बैंक खातों को पुलिस द्वारा जांच के दौरान मनमाने ढंग से फ्रीज किया गया है, जिसके कारण वह अपनी और अपनी दिवंगत पत्नी की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए धन का उपयोग करने में असमर्थ है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पुलिस ने Section 102 of the Code of Criminal Procedure के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, विशेष रूप से फ्रीज करने की सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर फ्रीजिंग आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए बैंक खातों से रोक हटाने का आदेश दिया।

निर्णय न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पुलिस द्वारा बैंक खाते को फ्रीज करने की तत्काल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को न भेजना सीधे तौर पर धारा 102(3) CrPC का उल्लंघन है, जिससे पूरी कार्रवाई कानूनी रूप से निरस्त हो जाती है।

“As per Section 102(3) of Cr.P.C., the Police Officer shall report with regard to seizure of the property forthwith to the concerned Magistrate, but in the instant case, the freezure of the bank account was not reported forthwith to the Magistrate, which is in total violation to the provision under section 102(3) of Cr.P.C.”

MADRAS HIGH COURT • 2016

स्रोत HCMD010796552016

17 Nevada Properties Private Limited v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-09-24 • 2019 INSC 1077

यह मामला Section 102 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) के तहत पुलिस की संपत्ति जब्त करने की शक्ति की व्याख्या से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'any property' शब्द में अचल संपत्ति (immovable property) शामिल नहीं है, इसलिए पुलिस अधिकारी के पास किसी भी अपराध के संदेह पर अचल संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने या सील करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि Section 102 का उद्देश्य जांच में सहायता करना है, न कि दीवानी विवादों में निर्णय लेना। हालांकि, पुलिस अधिकारी अचल संपत्ति से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेजों को जब्त कर सकते हैं। संपत्ति के शीर्षक और कब्जे से संबंधित विवादों का निपटारा केवल दीवानी न्यायालयों द्वारा ही किया जाना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारी के पास जांच के दौरान संदिग्ध बैंक खातों को सील या फ्रीज करने की शक्ति है क्योंकि वे चल संपत्ति हैं, परंतु धारा 102 CrPC के अंतर्गत "संपत्ति" शब्द में अचल संपत्ति को सील या जब्त करने की शक्ति शामिल नहीं है।

“The question was whether a bank account of an accused or any relation of the accused was ‘property’ within the meaning of Section 102 of the Code and if so, whether the Investigating Officer has the power to seize the bank account or issue a prohibitory order restraining operation of the bank account... to hold that bank account would also fall under the provision...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010003522019

18 Chilaram Narzary v. State of Assam

GAUHATI HIGH COURT • 2022-01-07 • WP(C)/2180/2021

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस द्वारा उसके बैंक खातों को फ्रीज किए जाने की वैधता को चुनौती देने के बारे में था। याचिकाकर्ता पर सरकारी अनुबंधों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान Section 102 of the Cr.P.C के तहत बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस ने प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। न्यायालय ने पाया कि हालांकि पुलिस को जांच के लिए बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार है, लेकिन यह कार्रवाई केवल तभी वैध है जब खाते और अपराध के बीच सीधा संबंध होने का संदेह हो। चूंकि पुलिस कोई ठोस कारण साबित करने में विफल रही, इसलिए याचिका का निपटारा किया गया।

निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस द्वारा धारा 102 CrPC के तहत खाते की जब्ती केवल तभी वैध हो सकती है जब संबंधित खाते में जमा राशि और कथित अपराध के बीच कोई संदेह या सीधा लिंक स्थापित हो सके। इस शर्त के अभाव में फ्रीजिंग अनुचित है।

“the two pre-conditions of the applicability of Section 102(1) Cr.PC are that it must be “a property” and secondly, “in respect of the said property there must have been suspicion of commission of an offence.””

GAUHATI HIGH COURT • 2022

स्रोत GAHC010059992021

19 T. Subbulakshmi v. Commissioner of Police

MADRAS HIGH COURT • 2013-08-30 • CRL OP/13103/2013

यह मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के पुलिस के निर्णय को चुनौती देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि CrPC की धारा 102 के तहत बैंक खातों को फ्रीज करना कानूनी रूप से अस्थिर है क्योंकि पुलिस ने इसे क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित नहीं किया था। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह केवल एक निषेधात्मक आदेश है और यह जांच को प्रभावित नहीं करता। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि जांच के दौरान बैंक खातों का फ्रीज होना एक कानूनी प्रक्रिया है, और पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को सूचित करने में देरी मामले की पूरी कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने प्रक्रियात्मक वैधता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धारा 102(3) CrPC के तहत मजिस्ट्रेट को तत्काल जब्ती की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। यदि पुलिस इस प्रक्रिया का उल्लंघन करती है, तो बैंक खातों की फ्रीजिंग को कानूनी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता।

“the bank account is a property within the meaning of Section 102 of Cr.P.C and sub-section (3) to Section 102 requires the reporting of seizure of the property to the concerned Magistrate forthwith, which is mandatory in nature... If there is any violation in following the procedures under Section 102 of Cr.P.C., the freezing of the bank account cannot be legally sustained.”

MADRAS HIGH COURT • 2013

स्रोत HCMA011190582013

20 Parthibhan V. v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-02-13 • WP/24718/2023

यह मामला याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ था, जो अहमदाबाद में स्थित Satellite Police Station के निर्देश पर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे किसी अपराध में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्हें व्यावसायिक लेनदेन के लिए पैसे मिले थे। न्यायालय ने कहा कि Section 102 of the Cr.P.C. के तहत बैंक खाते को फ्रीज करते समय सक्षम Magistrate को सूचित करना अनिवार्य है, जिसका पालन यहाँ नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के खातों को डीफ्रीज करें, लेकिन जांच के लिए विवादित राशि (Rs. 50,000/-) पर 'lien' अंकित करने का आदेश दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि साइबर सेल या बाहरी पुलिस के मौखिक या मनमाने निर्देशों के आधार पर किसी निर्दोष खाताधारक के पूरे खाते को फ्रीज करना गलत है। न्यायालय ने केवल संदिग्ध राशि (जैसे ₹50,000/-) पर 'lien' लगाने का आदेश दिया और शेष खाते को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया।

“The procedure stipulated for freezing of the accounts is found in Section 102 of the Cr.P.C., as the accounts of the petitioners are akin to a property and the holder of the account has a right to property... [directed to] freeze the disputed amount but defreeze the remaining portion.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010570342023

21 Bornali Dutta Bora v. State of Assam

GAUHATI HIGH COURT • 2023-05-15 • CRL.PET./350/2020

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने बैंक खातों को 'de-freeze' करने की मांग से संबंधित है, जिन्हें पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों (CID P.S. Case No. 27/2019 और Hatigaon P.S. Case No. 905/2019) की जांच के दौरान जब्त कर लिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह किसी भी मामले में आरोपी नहीं है और पुलिस ने Section 102 of the Cr.P.C. के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसमें मजिस्ट्रेट को जब्ती की सूचना देना आवश्यक है। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ये खाते संदिग्ध नकद लेनदेन से जुड़े हैं और जांच अभी भी लंबित है। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर विचार करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा, क्योंकि जांच एजेंसियां अभी भी खातों में संदिग्ध extorted money होने की संभावना की जांच कर रही हैं।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि धारा 102 CrPC के तहत प्रक्रियात्मक अनुपालन अनिवार्य है। हालांकि, गंभीर और संदिग्ध मामलों में, जहां अवैध या जबरन वसूली के धन के लेन-देन का संदेह होता है, वहां अदालतें जांच के हित और प्रक्रियात्मक विफलता के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।

“compliance of Section 102 Cr.P.C. is mandatory in nature and it is the duty of the police officer to report the learned Magistrate as required under Section 102 Cr.P.C... freezing of bank account of the petitioner was not reported forthwith to the jurisdictional Magistrate, which is mandatory.”

GAUHATI HIGH COURT • 2023

स्रोत GAHC010090132020

22 Shree Mahalaxmi Associates v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-10-12 • WPCR/398/2020

यह मामला बैंक खातों को सीज करने के पुलिस के अधिकार और उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा डी-फ्रीजिंग के आवेदन को खारिज करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Section 102 of the CrPC के तहत बैंक खातों को तभी सीज किया जा सकता है जब वे अपराध से सीधे जुड़े हों या चोरी की संपत्ति हों। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जब्ती की सूचना मजिस्ट्रेट को कानून द्वारा अनिवार्य 'forthwith' (तत्काल) आधार पर नहीं दी गई थी। न्यायालय ने Supreme Court के निर्णयों (जैसे Tapas D. Neogy) का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस के पास जांच के दौरान उन बैंक खातों को फ्रीज करने की शक्ति है जो अपराध के संदेह से जुड़े हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'property' के तहत बैंक खाते आते हैं और जांच के दौरान पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर, याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि जांच अभी चल रही थी।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष खाता खोलने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को केवल "जांच लंबित है" कहकर उसे सीधे खारिज नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह जांच करनी चाहिए कि धारा 102(1) और 102(3) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन पुलिस द्वारा किया गया है या नहीं।

"learned Magistrate did not consider as to whether there is compliance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 102 of the CrPC and further did not consider as to whether there is compliance of the provisions contained in sub-section (3) of Section 102 of the CrPC or not and straightway only on the ground that the matter is under investigation rejected the application, which cannot be said to have considered... in its proper perspective."

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010194512020

23 Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka [CRL.P/4734/2024]

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-07-31 • CRL.P/4734/2024

यह मामला Magistrate द्वारा बैंक खातों को बिना बैंक को सुने 'de-freeze' करने के आदेश के खिलाफ था। बैंक ने दलील दी कि अनेक मामलों में जारी आदेशों के कारण संबंधित खातों में उपलब्ध राशि से अधिक राशि स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जा रहा है, जिससे उन्हें कठिनाई हो रही है। High Court ने माना कि Magistrate को Bank को सुने बिना ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए थे। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि Bank को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए और Sections 451 and 457 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत दायर आवेदन को आठ सप्ताह के भीतर निपटाया जाए।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 451 और 457 CrPC के तहत खाता डी-फ्रीज करने या पैसे ट्रांसफर करने का आदेश देने से पहले संबंधित बैंक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंकों के समक्ष देश भर से कई अन्य अदालतों के परस्पर विरोधी आदेश लंबित हो सकते हैं।

"Therefore, the learned Magistrate before passing an order directing the petitioner to unfreeze and transfer the amount to the accounts of the complainants, is required to hear the petitioner... Matter is remanded... to reconsider the application filed under Sections 451 and 457 of Cr.P.C. afresh, after giving the opportunity of hearing to the petitioner."

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010216352024

24 George Abraham v. The Branch Manager, IDFC Bank

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-03-06 • WP/2807/2024

यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा अपने बैंक खाते को फ्रीज करने के विरुद्ध दायर की गई याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता के खाते को साइबर क्राइम पुलिस द्वारा किसी अन्य राज्य से प्राप्त मौखिक निर्देश के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को इसके कारणों की जानकारी नहीं थी। न्यायालय ने माना कि खाते को फ्रीज करना 'Section 102 of the Cr.P.C.' के प्रावधानों का पालन किए बिना किया गया एक मनमाना कार्य है, जो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए बैंक को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज करे।

निर्णय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए माना कि किसी अन्य राज्य के साइबर सेल के केवल मौखिक निर्देश या ईमेल पर बिना धारा 102 CrPC की कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बैंक खाते को मनमाने ढंग से फ्रीज करना पूरी तरह अवैध है और खाताधारक के संपत्ति के अधिकारों का हनन है।

“It is rather shocking as to how the account of the petitioner comes to be frozen on a mere oral communication from the cyber crime cell elsewhere... Freezing of the account, cannot but be in terms of law as obtaining under Section 102 of the Cr.P.C. Nothing of that seem to have been followed. The freezement is, on the face of it, an arbitrary exercise of power...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010044302024

25 Axis Bank Ltd. v. State of Karnataka [CRL.P/3635/2024]

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024-07-31 • CRL.P/3635/2024

यह मामला Axis Bank द्वारा दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने बैंक को अभियुक्त के खाते को 'defreeze' करने और पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। बैंक की मुख्य चिंता यह थी कि निचली अदालत ने बैंक को सुने बिना यह आदेश पारित किया था, जबकि खातों में अपर्याप्त राशि होने के कारण ऐसे आदेशों का पालन करना बैंक के लिए कानूनी रूप से कठिन था। न्यायालय ने अपने निर्णय में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने मामले को वापस निचली अदालत के पास भेज दिया ताकि Sections 451 और 457 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत आवेदन पर बैंक को सुनवाई का अवसर देने के बाद नए सिरे से विचार किया जा सके।

निर्णय न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को बैंक का पक्ष सुने बिना सीधे डी-फ्रीज या निकासी आदेश पारित नहीं करने चाहिए। खातों में अपर्याप्त शेष या शून्य शेष की स्थिति में, बैंक को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलना आवश्यक है।

“The Trial Courts have passed the impugned orders in these cases for de-freezing the accounts of the customers and releasing the amounts, without giving opportunity of hearing to the petitioner - Bank... Therefore, before de-freezing the accounts, it is necessary for the Trial Court to give opportunity to the petitioner of being heard in the matter...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2024

स्रोत KAHC010225162024

अ स्वी कर ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।